

2022  
48

12.3.2022  
12-7-22  
~~18/08/22~~  
18/08/22  
RST

सरवर्क

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बनेड़ा

क्रिस मुकद	मुकदमा नं. एवं वर्ष	तारीख दायर	ग्राम का नाम	तारीख फैसल	नं. फैसल	तारीख फैशी
प्रार्थक पत्र	२ २०२२	31/1/22	जसवन्तपुरा (बेरा)			25-08-22 08/9/22 27/9/22 27/10/22 03/11/22 02/12/22 02/1/23

अनवान

श्री. लालू पिता काना मुखर्जी बनाम श्री. देवनाथयल जी ब्रह्मन देह  
निवासी जसवन्तपुरा बर्ग. निवासी जसवन्तपुरा बर्ग.

निगराकार / प्रार्थी / अपी.

अप्रार्थी / रेष्यो.

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 251 ए L.R Act

वकील वादी  
श्री. के. के. जीतेश्वर

वकील प्रतिवादी  
ए. श्री. जगन्नाथ देसाई



तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

श्री  
७२

स्वयं उपस्थित अध्यायी सं. ५ श्री  
स्वयं उपस्थित वकील उमयपत्त  
की बहस सुनी गयी व अध्यायी  
सं. १ व ५ व अध्यायी सं. ५ स्वयं  
की भी सुना गया वकील अध्यायी  
व अध्यायी सं. ५ ने निर्वहन किया  
की हजारी आराजी नं. १ से १००,  
द्विगुण द्वारा जैसी गए पुस्तक  
अनुसार रास्ता इस बात पर पैन  
की भेड़क है की हमें रास्ते की  
जमीन के बदले जमीन मिलवायी  
जाये पुकरण में नक्शा अनुसार  
यह साबित आया की विपत्ती सं.  
५ के लगायत अध्यायी सं. १ की  
जमीन खसरा नं. ४३१ व ४३२  
है। अतः अध्यायी सं. १ ने उक्त  
में अपनी सहवति देते हुए निर्वहन  
किया की वह रास्ते की जमीन  
के बदले अपनी आराजी नं.  
४३१ व ४३२ में से जमीन  
अध्यायी सं. ५ को दे देगी।

37  
हुकम  
में

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

बिनातः पुकरण में 10th, Banusa  
से प्राप्त पुस्तक अनुसार  
खसरा सं. 857, 937, 858 व  
859 में से रास्ता पार्थिगण के  
पार्थिनापत्र अनुसार स्वीकार इस  
आवश्यक के साथ किया जाता है कि  
विपत्ती सं. 2 व 3 तथा विपत्ती सं.  
7 को DLC की पुगुनी पर अनुसार  
भुजतान उनके सौजफल (रास्ते के)  
का करेगा व खसरा सं. 857  
के रास्ते के सौजफल के बराबर जमीन  
पार्थी सं. 1 अपनी आरप्लीयात  
खसरा सं. 821 व 822 में से  
विपत्ती सं. 4-6 को देगा।  
उक्तानुसार आपेक्षा पृथक से सिखाया  
जाकर पत्रावली फैसल शुमार  
होकर नम्बर से कम है व  
पफतर दाखिल है।

④  
व्यक्ति  
09/01/23